

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-2

संख्या- 7/2015/1264/36-2-15-130/2010

लखनऊ, दिनांक: 05 अगस्त, 2015

अधिसूचना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली-2009 के नियम 256 तथा 257 के साथ पठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 (अधिनियम संख्या 27, वर्ष 1996) की धारा 18 की उपधारा (1) व (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से एक बोर्ड का गठन करते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जो उक्त अधिनियम और उक्त नियमावली के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदेशित कृत्यों का सम्पादन करेंगे:-

1	प्रमुख सचिव, श्रम उOप्रO शासन	पदेन अध्यक्ष	नियम- 256(एक)	
2	कल्याण आयुक्त, भारत सरकार	पदेन सदस्य	नियम- 256(दो)	
3	श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य/ मुख्य निरीक्षक	नियम- 256(तीन)	
4	विशेष सचिव, आवास विभाग	पदेन सदस्य	नियम- 256(चार)	
5	विशेष सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य	नियम- 256(चार)	
6	विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग	पदेन सदस्य	नियम- 256(चार)	
7	सेवायोजक प्रतिनिधि	<u>सदस्य</u>	नियम- 256(पाँच)	1. श्री नदीम खान पुत्र श्री सलीमखान, गार्डन सिटी, निकट कुंवर फार्म हाऊस, मसूरी, गाजियाबाद। 2. श्रीमती संगीता राहुल पत्नी श्री जगदीश प्रसाद म0नं0-1031, भगवतपुरा, घण्टाघर, ब्रह्मपुरी, मेरठ। 3. श्री सलिल सिंह, पुत्र श्री विक्रम सिंह, टीटू प्लाईवुड, तुलसीपुर, बलरामपुर।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8	श्रमिक प्रतिनिधि	सदस्य	नियम- 256(छः)	<p>1. श्री राजनाथ यादव, पुत्र श्री सत्य नारायण यादव, राज्य संयोजक, असंगठित कामगार, अधिकार मंच, 30प्र0, ओम शान्तिपुरम, सड़वा कला, पो0-टी0एस0एल0 नैनी, इलाहाबाद।</p> <p>2. श्रीमती अर्शिया नाजिम पत्नी श्री नाजिम अंसारी, कोषाध्यक्ष, असंगठित कामगार मजदूर यूनियन, म0नं0-6बी स्ट्रैची रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।</p> <p>3. श्री इरफान पुत्र स्वर्गीय मो0 यूनिस, महामंत्री, समाजवादी लोहिया मजदूर सभा, नि-बेगम मकबरा, कजरी कुइया, फैजाबाद।</p>
---	------------------	-------	------------------	---

अरुण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 7/2015/1264(1)/36-2-15-130/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्रमायुक्त, 30प्र0, कानपुर।
- 2- सचिव, 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लेखराज मार्केट-11 इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 3- संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अधिकारीगण ।
- 4- समस्त अनुभाग श्रम, 30प्र0 शासन।
- 5- संबंधित सेवायोजक/श्रमिक प्रतिनिधि (द्वारा श्रमायुक्त)
- 6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामाग्री, ऐशबाग, लखनऊ को आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 के अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 100 मुद्रित प्रतियाँ अनुभाग अधिकारी, श्रम अनुभाग-2, बापू भवन लखनऊ 30प्र0 शासन एवं 100 मुद्रित प्रतियाँ श्रमायुक्त, 30प्र0 कानपुर को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(परशुराम प्रसाद)
विशेष सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN

Shram Anubhag-2

In pursuance of provisions of clause 3 of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 7/2015/1264/XXXVI-2-2014-130/2010 Dated 05 August 2015.

NOTIFICATION

No.7/2015/1264/XXXVI-2-2015-130/2010

Lucknow, Dated 05 August, 2015

In exercise of the powers under sub-sections (1) and (3) of section-18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Act no.27 of 1996) read with rules 256 and 257 of the Buildings and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2009, the Governor is pleased to constitute a Board to be known as the Uttar Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board consisting of the following members with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, to exercise the powers conferred on, and perform the functions assigned to it under the said Act and the said rules:-

1.	Principal Secretary (Labour), Uttar Pradesh Government.	Ex-officio Chairman	[Rule-256(I)]	
2.	Welfare Commissioner, Government of India.	Ex-officio Member	[Rule-256(II)]	
3.	Labour Commissioner, Uttar Pradesh.	Ex-officio Member/ Cheif Inspector	[Rule-256(III)]	
4.	Special Secretary, Housing Department.	Ex-officio Member	[Rule-256(IV)]	
5.	Special Secretary, Finance Department.	Ex-officio Member	[Rule-256(IV)]	
6.	Special Secretary, Public Works Department.	Ex-officio Member	[Rule-256(IV)]	
7.	Employer's Representatives.	Member	[Rule-256(V)]	1. Shri Nadeem Khan s/o Shri Saleem Khan, Garden City near, Kubar Farm House, Masoori, Ghaziabaad. 2. Mrs. Sangeeta Rahul w/o Shri Jagdeesh Prasad, house no. 1031 Bhagvatpura, Ghantaghar, Brahampuri, Meerut.

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

				3. Shri Salil Singh s/o Shri vikram Singh, Teetu Plywood, Tulsipur, Balrampur.
8.	Employees Representatives.	Member	[Rule-256(VI)]	<p>1. Shri Rajnaath Yadav s/o Satya Narayan Yadav, Rajya Sanyojak, Asangathit Kamgaar, adhikaar manch, U.P. Om Shanti puram Sadva Kala, Post-TSL, Naini, Allahbad.</p> <p>2. Mrs. Arshiya Nazim w/o Shri Nazim Ansari, koshadhyaksh, Asangathit Kamgaar Majdoor union. house no. 6B Strachy Road, Civil lines, Allahbad.</p> <p>3. Shri Irfaan s/o Late Muhammad Yunus, Mahamantri, Samaajwaadi Lohiya Majdoor Sabha, Begum Makbara, Kajri Kuiya, Faizabad.</p>

(Arun Kumar Sinha)
Principal Secretary